v/;k; -II

nwjlapkj foHkkx

2.1 vokLrfod/nkgjs nkoksa ij LkfClkMh dk Òqxrku

fu;=d lapkj ys[kk (fu l y) jktLFkku nwjlapkj ifje.My us o"kZ **2008-2010** dh vof/k esa eSllZ VkVk Vsfy lfoZlst fyfeVsM (Vh Vh ,l ,y) ds }kjk izLrqr fd;s x;s nkoksa ds vk/kkj ij ₹ **71.49** djksM+ ds ÝaV yksMsM lfClMh dh lfClMh forj.k ds iwoZ xzkgd vkosnu i=ksa (lh , ,Q) dh lR;rk tkap fd;s fcuk, vuqefr ns nhA vkxs, vkfM'kk vkj dsjy ifje.Myksa ds fu l y us nksgjs nkoksa ij ₹ **0.82** djksM+ dh lfClMh dk Hkqxrku ch ,l ,u ,y vkSj fjyk;al dE;qfuds'ku fyfeVsM dks fd;kA

सितंबर 2003 में दूरसंचार विभाग (दू वि) ने नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले) को संबंधित दूरसंचार परिमण्डलों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) के लिए अनुबंध की शर्तो के अनुरूप एवं आबंटित राशि की सीमा का पालन करते हुए सब्सिडी के संवितरण से संबंधित कार्य सौंपा। नि सं ले को संबंधित अनुबंध के अर्न्तगत विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं (यू एस पी) द्वारा प्रस्तुत दावों में शामिल सूचना की निगरानी का दायित्व पूर्ण करना अपेक्षित था।

(d) vokLrfod nkoksa ij LkfClkMh dk Òqxrku

दूरसंचार विभाग (दू वि) ने निर्दिष्ट शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया (एस डी सी ए) में रुरल हाउस होल्ड डारेक्ट एक्सचेंज लाइंस (आर डी ई एल एस) के प्रावधान हेतु विभिन्न यू एस पी के साथ अनुबंध किया। अनुबंधो के तहत लोकल एक्सचेंज एरिया में आर डी ई एल एस के सकल योग पर एक वारीय फ्रंटलोडेड सब्सिडी[1] का भुगतान किया जाना था।

यू एस पी मैसर्स टाटा टेलि सर्विसेज लिमिटेड (टी टी एस एल) को आठ सेवा क्षेत्रो के लिए 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक एक वर्ष के लिए आर डी ई एल एस के इंस्टालेशन की समयावधि को विस्तार देते समय, दू वि ने यू एस पी को, दावा की गई फ्रंट लोडेड सब्सिडी के लिए प्रस्तुत प्रत्येक दावे के संलंग्नक के रूप में ग्राहक आवेदन पत्र की प्रति या तो हार्ड प्रति अथवा साफ्ट प्रति में उपलब्ध कराने के, निर्देश जारी (जनवरी 2008) किए।

नियंत्रक, संचार लेखा (नि सं ले), राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल के कार्यालय में अभिलेखो की जांच के दौरान (सितम्बर 2013) यह देखा गया कि अधिकतर मामलों में, या तो ग्राहक आवेदन पत्रों की सॉफ्ट प्रति अथवा हार्ड प्रति उपलब्ध नहीं थी या उपलब्ध आवेदन पत्र आर डी ई एल एस के स्थान पर मोबाइल उपभोक्ताओं से संबंधित थे। आगे, कुछ मामलों में सॉफ्ट कॉपी में खाली फार्म था या उपभोक्ता का विवरण बिना टेलीफोन नम्बर के था। यहां तक कि ग्राहक आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेजों के साथ ही साथ राशन कार्डों पर हस्ताक्षर एवं सील को कई मामलों में जाली होना पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से, कुछ मामलों में एक ही फोटो विभिन्न ग्राहक आवेदन पत्रों में विभिन्न नामों एवं पतों के साथ लगे हुए पाये गये। ग्राहक आवेदन पत्रों में उल्लिखित पतों की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पाया गया कि संबंधित ग्राहक अधिकांश मामलों में उस पते पर नहीं पाये गये।

[1] फ्रंट लोडेड सब्सिडी वह धन राशि होती है, जो कनेक्शन को इंस्टॉल करने एवं चालू किये जाने वाली तिमाही के अंत में देय होती है।

तथापि नि सं ले ने सब्सिडी के संवितरण पूर्व ग्राहक आवेदन पत्रों की जांच किए बिना टी टी एस एल को वर्ष 2008-2010 के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर ₹ 71.49 करोड़ की फ्रंट लोडेड सब्सिडी के भुगतान की अनुमति प्रदान की।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2016) में बताया कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए ग्राहक ओवदन पत्र की हार्ड प्रतियां उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 से संबंधित यू एस पी द्वारा प्रस्तुत सीडी मई 2016 में हुई अग्नि दुर्घटना में जल गई। आगे, सब्सिडी के भुगतान से पहले अथवा बाद में ग्राहक आवेदन पत्र की जांच करने के कोई निर्देश नहीं थे। आगे यह बताया गया कि आर डी ई एल एस की प्रत्यक्ष जांच के दौरान, सभी आर डी ई एल एस अपने दावों एवं ग्राहक ओवदन पत्र के अनुसार अपने मूल स्थानो पर स्थापित नहीं पाये गये और इसलिये अयोग्य मानने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान भुगतान की गई सब्सिडी के लिए ₹ 137.99 करोड़ (ब्याज सहित) का मांग पत्र जून 2014 में टी टी एस एल को जारी किया गया था। वर्तमान में मामला एकमात्र मध्यस्थ के पास विवादित है।

मंत्रालय के उत्तर ने आर डी ई एल के सत्यापन और भुगतान प्रणाली की कमियों की पुष्टि की। यह दूरसंचार विभाग की तरफ से सब्सिडी दावों का सत्यापन करने में शिथिल निगरानी प्रणाली को भी दर्शाता है।

([k) nkgjk nkok ij lfClMh dk Òqxrku

नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले), ओडिशा (बी एस एन एल) एवं केरल (रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड) परिक्षेत्र के कार्यालयों के अभिलेखो की जांच में विभिन्न आर डी ई एल अनुबंधो के अंतर्गत उसी आर डी ई एल संख्या पर सब्सिडी का भुगतान तथा आर डी ई एल के प्रावधान हेतु योजना के अंतर्गत यू एस पी द्वारा एक ही कनेक्शन को अलग-अलग इंस्टालेशन दिनांक के साथ ₹ 0.65 करोड़ की धनराशि के सब्सिडी के दोहरे दावे प्रस्तुत करने के उदाहरण सामने आए।

ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वायर-लाइन ब्रांडबैंड कनेक्शनों के प्रावधान की योजना में, ओडिशा परिमण्डल में यह देखा गया कि बी एस एन एल ने पहले कनेक्शन को स्थायी रूप से बंद करने से पूर्व या तो उसी उपभोक्ता को या नये उपभोक्ता के नाम से वही ब्राडबैंड कनेक्शन पुनः आबंटित दिखाया। परिणामस्वरूप, नि सं ले द्वारा ₹ 0.17 करोड़ का दोहरा भुगतान किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2016) में कहा कि धनराशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार, सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं को अवास्तविक के साथ-साथ दोहरे दावों के आधार पर ₹ 72.31 करोड़[2] सब्सिडी का भुगतान किया गया।

[2] नि सं ले द्वारा सब्सिडी दावा विवरणों के उचित सत्यापन के अभाव में अवास्तविक दावो पर ₹ 71.49 करोड़ एवं यू एस पी द्वारा लगाये गये कनेक्शनो पर दोहरे दावो पर ₹ 0.82 करोड़ (₹ 0.65 करोड़ एवं ₹ 0.17 करोड़)

2.2 oif'od lok inkrk dk lfClMh dk vfu;fer Hkxrku

njlapkj foHkkx us fo|eku njHkk"k ,Dlpst ls xkeh.k vkj njnjkt {k=ks es ok;jykbu ckMcsM l;ktfu;rk ds iko/kku ds fy;s ch ,l ,u ,y ls ,d djkj fd;kA ch ,l ,u ,y us rfeyukM lok {k= ds njHkk"k ,Dlpst ifjljks es vo lajpuk ds vko';d ?kVdks dk iko/kku fd;s fcuk **489** fdvkLd LFkkfir fd;kA rFkkfi] i/kku fu l y rfeyukM us Mh vks Vh }kjk tkjh vuns'kks ds mYy?ku es **₹ 9.31** djkM dk Hkxrku bu fdvkLd ds fy;s dj fn;kA

दूरसंचार विभाग ने विद्यमान दूरभाष एक्सचेंज से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में वायर-लाइन ब्रॉडबैंड संयोजनीयता के प्रावधान के लिये बी एस एन एल के साथ (जनवरी 2009) एक करार किया जिसका प्रयोजन ग्रामीण दूरभाष के लिये यू एस ओ एफ से सब्सिडी संवितरण की योजना को कार्यान्वित करना था। योजना के कार्यक्षेत्र में, विशिष्ट ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में ब्राडबैंड इंटरनेट किओस्क की स्थापना के साथ व्यक्तिगत व संस्थागत प्रयोक्ताओं को ब्राडबैंड संयोजनीयता का प्रावधान, प्रचालन व अनुरक्षण शामिल किया गया। किओस्क के लिये अपेक्षित उपस्कर की निर्णायक (बैंचमार्किंग) लागत में यू पी एस की लागत को भी शामिल किया गया था। मंत्रालय द्वारा आगे यह भी स्पष्ट किया गया था कि निर्णायक व सम्भावित उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार सभी मूलभूत घटक युक्त किओस्क ही सब्सिडी के पात्र होंगे।

प्रधान नियंत्रक संचार लेखा (प्र नि सं ले), तमिलनाडु परिमंडल के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि बी एस एन एल के दूरभाष एक्सचेंज परिसरों में 489 किओस्क पृथक यू पी एस का प्रावधान किये बिना प्रदान किये गये थे जिसकी पुष्टि बाद में बी एस एन एल कारपोरेट कार्यालय द्वारा भी की गई थी। तथापि, प्र नि सं ले तमिलनाडु ने इस सम्बंध में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में इन किओस्क के लिये नवम्बर 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि में ₹ 9.31 करोड़ की सब्सिडी जारी की।

इस मामले पर मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि करार के अनुसार, यू एस पी किओस्क को दक्षतापूर्ण व सुचारू रूप से चलाने के लिये बाध्य था। किओस्क में स्थापित अवसंरचना के आवश्यक घटको में कम से कम एक वर्क स्टेशन/कम्प्यूटर, यू पी एस, प्रिन्टर, स्कैनर, एस डी एस एल, मोडेम/सी पी ई, वेबकैम तथा पावर बैक-अप के रूप में डी जी सेट हैं। इस प्रकार उन यू एस पी को कोई किओस्क सब्सिडी, भुगतान योग्य नहीं थी जिन्होने आवश्यक घटकों में से कोई भी एक घटक प्रदान नहीं किया था। आगे, यह भी बताया गया था कि इस प्रकार से सब्सिडी के अधिक भुगतान का पता लगाने के लिये प्र नि सं ले तमिलनाडु कार्यालय के साथ मामले का अनुसरण किया जा रहा था।

यू एस ओ एफ मुख्यालय द्वारा आगे यह भी स्पष्ट किया गया था (जनवरी 2015) कि करार में यह आवश्यक है कि किओस्क बिजली कटौती के बावजूद भी कार्य करने में समर्थ होने चाहिये तथा इसलिये बी एस एन एल को किओस्क चलाने में आजादी एवं लचीलापन देता है जब तक कि यह विभिन्न अनुबंधित दायित्वों एवं सेवा पैरामीटर का अनुपालन करता है। आगे, यह भी स्पष्ट किया गया कि किओस्क वर्क स्टेशन/कम्प्यूटर के वोल्टेज के उतार-चढाव के कारण बचाव के लिये एक मात्र उपयोग के लिये यू पी एस होने चाहिये तथा इसके न होने पर किओस्क सब्सिडी अस्वीकार्य होगी।

मंत्रालय ने तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते हुये बताया (मई 2016) कि प्र नि सं ले तमिलनाडु को निर्देशित किया गया कि वह आवश्यक घटकों का प्रावधान न करने के कारण सब्सिडी के अनियमित भुगतान को बी एस एन एल के विरूद्ध लम्बित बिलों से, करार व जारी अनुदेशों के अनुसार समायोजित करे। इस प्रकार, 489 किओस्क में अनियमित सब्सिडी की राशि ₹ 9.31 करोड़ की वसूली अभी भी की जानी थी।

यह अवलोकन केवल एक परिमंडल से सम्बंधित है। अन्य परिमंडलों में उसी प्रकार की खामियों से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसके लिये मंत्रालय को चाहिये कि वह इसको संज्ञान में ले तथा उपचारी कार्रवाई शुरू करे।

इस प्रकार, किओस्क में यू एस पी द्वारा आवश्यक घटक सुनिश्चित किये बिना सब्सिडी का भुगतान हुआ जिसके कारण ₹ 9.31 करोड़ की सब्सिडी का अनियमित भुगतान हुआ।

2.3 eS l l LVjykbV iks|ksfxdh fyfeVsM (,l Vh ,y) ds }kjk vi=kf/kd`r nj lapkj lsok

,l Vh ,y ,d volajpuk iznkrk Js.kh-I (v iz-I) iathd`r dEiuh, tks fd dsoy nj lapkj lsok iznkrk ds ykbZlsal /kkjdksa dh volajpuk leFkZu ds fy;s ikf/kd`r Fkh, v iz-I iathdj.k ds dk;Z{ks= ds ckgj dk;Z dj jgh FkhA ;|fi ,VeZ lsy, iq.ks }kjk Mh vks Vh ds laKku esa ;g rF; yk;k x;k, ,d o"kZ ds ckn Hkh dEiuh ds fo:) dksbZ dk;Zokgh ugha dh xbZA

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाइसेंसधारकों को डार्क फाइबर[3], राइट ऑफ वे[4], डक्ट स्पेस तथा अवसंरचना समर्थन देने के लिये टावर जैसी सम्पत्ति स्थापित करने व कायम रखने के लिये भारतीय कम्पनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी I (अ प्र-I) पंजीकरण प्रदान किया गया है। कोई भी प्रकरण में, किसी सेवा प्रदाता या किसी अन्य उपभोक्ता को, अ प्र-I के रूप में पंजीकृत कम्पनी अंतिम छोर तक बैंडविथ सहित टेलीग्राफ सेवायें प्रदान करने का कार्य व संचालन नहीं करेगी जैसा कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में परिभाषित है। कम्पनी को अ प्र-I के रूप में पंजीकृत करवाने के लिये किसी प्रवेश शुल्क व बैंक प्रत्याभूति की आवश्यकता नहीं थी। मैसर्स स्टरलाइट प्रौद्योगिकी लिमिटेड (एस टी एल) ऐसी ही अ प्र-I पंजीकृत कम्पनियों में से एक थी जिसे दिसम्बर 2010 में पुणे में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डार्क फाइबर जैसी सेवायें प्रदान करने के लिये पंजीकृत किया गया था तथा जिसने दिसम्बर 2012 में सेवायें शुरू की थीं।

दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन व मानीटरिंग (टर्म) सैल[5] पुणे की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2015) के दौरान यह देखा गया कि इसके द्वारा एस टी एल का निरीक्षण फरवरी 2015 में किया गया था जिसमें यह पाया गया कि यद्यपि एस टी एल को अ प्र-I के रूप में पंजीकृत किया गया था तब भी इसके किसी भी उपभोक्ता ने कम्पनी से सिरे से सिरे तक डार्क फाइबर भाड़े/पट्टे पर उपयोग में नहीं लिया। कम्पनी के

[3] डार्क फाइबर अथवा अनलिट फाइबर एक अप्रयुक्त आप्टीकल फाइबर है, जो कि फाइबर-आप्टीकल संचार में उपयोग के लिये उपलब्ध है।

[4] राइट आफ वे, भूमि पर परिवहन प्रयोजन हेतु दी गई अथवा आरक्षित सुविधा है, यह राजमार्ग, सार्वजनिक पैदल पथ, रेल परिवहन, नहर तथा विद्युत सम्प्रेषण लाइन, तेल व गैसपाइपलाइन के लिये भी हो सकता है।

[5] देश में दूरसंचार आपरेटर की संख्या में वृद्धि हो गई है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सेवा प्रदाता लाइसेंस शर्तों का पालन करते हैं एवं दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा मामलों की देखभाल के लिये, सरकार ने लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों में दूरसंचार प्रर्वतन संसाधन व मानीटरिंग (टर्म) सैल का सृजन किया।

ग्राहक अपने परिसरों में स्थापित आप्टीकल लाईन टर्मीनेशन (ओ एल टी), आप्टीकल नेटवर्क टर्मिनल (ओ एन टी), एल-3 स्विच आदि जैसे सक्रिय उपकरण के सहयोग से फाइबर का उपयोग कर रही थी। वास्तव में, एस टी एल अपने उपकरणों के साथ जीपोन[6] का उपयोग करते हुये अथवा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी मैसर्स स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड (एस एन एल)[7] के उपकरणों का उपयोग करते हुये सेवायें प्रदान कर रही थी तथा उपभोक्ताओं की बिलिंग बैंडविड्थ उपयोग के आधार की जा रही थी, न कि प्रयुक्त डार्क फाइबर की लम्बाई व संख्या के आधार पर।

इसके आधार पर, टर्म सैल ने निष्कर्ष निकाला कि एस टी एल अ प्र-II सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही थी क्योंकि यह डार्क फाइबर की अपेक्षा बैंडविड्थ बेच रही थी जोकि अ प्र-I पंजीकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर था। चूंकि अ प्र-1 पंजीकरण में प्रवेश शुल्क तथा बैंक प्रत्याभूति का भार वहन नहीं करना था जबकि अ प्र-II लाइसेंसधारक को समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर)[8] के 6 प्रतिशत की दर से राजस्व शेयर के रूप में वार्षिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त ₹ 100 करोड़ की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति जमा करनी पड़ती थी, एस टी एल, जब से अ प्र-II लाइसेंस के अन्तर्गत यह गतिविधियां कर रही थी ए जी आर पर वार्षिक लाइसेंस फीस के मद में राजकोष में राजस्व हानि कर रही थी जो कि आंकड़ों के अभाव में पता नहीं लगाया जा सका।

टर्म सैल ने अगस्त 2015 में दूरसंचार विभाग (दू वि) को यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी जिसमें एस टी एल को एक विकल्प देने हेतु सिफारिश की गई थी कि वह या तो राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी) लाइसेंस के लिये स्थानान्तरण करे और पुणे में व अन्यत्र इसका प्रचालन प्रारम्भ करने की तारीख से वार्षिक लाइसेंस फीस के साथ जुर्माना जो भी उचित हो, का भुगतान करे अथवा यदि एस टी एल यह विकल्प नहीं मानता है तो इसका अ प्र-I पंजीकरण रद्द कर दिया जाये और इसके प्रचालन बंद करने के आदेश दिये जायें तथा अप्राधिकृत दूरसंचार प्रचालनों के लिये अभियोग चलाया जाये। क्योंकि दू वि से आगे कोई संवाद नहीं था, टर्म सैल पुणे ने दू वि से पुनः अनुरोध किया (नबम्बर 2015) कि वह एस टी एल के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ करे क्योंकि यह प्राथमिक रूप में देखा गया था कि आपरेटर, पंजीकरण क्षेत्र के परे सेवायें प्रदान कर रहा था। दू वि द्वारा अभी तक कम्पनी पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2016) में बताया कि टर्म सैल, पुणे द्वारा की गई जांच, अ प्र-I कम्पनी द्वारा सक्रिय अवसंरचना के विद्यमान होने पर केन्द्रित थी। 2009 में दू वि द्वारा जारी अनुदेशों ने अ प्र-I को अनुमत किया है कि वह यू ए एस एल/सी एम एस पी लाइसेंस धारक की ओर से/के लिये निश्चित अवसंरचना का सृजन करे। तदनुसार, टर्म सैल पुणे से कहा गया कि वह सम्पूर्ण प्रकरण की पुनः जांच करे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा का निम्नलिखित अवलोकन है।

- 2009 में दू वि द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यू ए एस एल/सी एम एस पी लाइसेंसधारकों के पक्ष में सक्रिय अवसंरचना का कार्यक्षेत्र केवल एन्टीना, फीडर केबिल, नोड बी, रेडियो ऐसस

[6] जीपोन से अभिप्राय गीगाबिट पैसिव आप्टीकल नेटवर्क है और यह पी एस टी एन, आई एस डी एन, ई1 तथा ई3 ट्रैफिक परिवहन कर सकता है।
[7] स्पीडन नेटवर्क लिमिटेड (पूर्व में स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड)
[8] अनुज्ञेय कटौतियां समायोजित करने के बाद कम्पनी का राजस्व

नेटवर्क (आर ए एन) तथा सम्प्रेषण प्रणाली तक सीमित था फिर भी, जैसा कि टाटा व एयरटेल जैसे अपभोक्ताओं ने पुष्टि की थी आप्टीकल नेटवर्क टर्मिनल (ओ एन टी) तथा एल3 स्विचेज़ का स्वामित्व एस टी एल के पास था जिन्होंने यह कभी नहीं बताया था कि ये उपस्कर उनके लिये/उनकी ओर से स्थापित किये गये थे। यह तथ्य कि यह उपकरण एस टी एल का था, दू वि के अनुदेशों का स्पष्ट उल्लंघन था।

- 2009 में दू वि द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये थे और फरवरी 2015 में निरीक्षण किया गया था। इस प्रकार टर्म सैल दिशानिर्देशों के बारे में भलीभांति अवगत था। अ प्र-I के रूप में पंजीकरण का कार्यक्षेत्र, बैंडविथ के बिक्री को प्राविधानित नहीं करता है जबकि एस टी एल अपने उपभोक्ताओं से डार्क फाइबर की लम्बाई व संख्या के बजाय बैंडविथ उपयोग के आधार पर प्रभार कर रहा था। बैंडविथ की बिक्री केवल अ प्र-II लाइसेंस धारक इकाई को ही अनुमत थी।

इस प्रकार, मैसर्स एस टी एल ने अ प्र-I पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन किया तथा अ प्र-I श्रेणी लाइसेंस के कार्यक्षेत्र से बाहर सेवायें अप्राधिकृत रूप से प्रदान की थी। आगे, अगस्त 2015 में एस टी एल द्वारा उल्लंघन को ध्यान में लाये जाने के बाद भी दू वि की ओर से निष्क्रियता रही, इसके वैद्य लाइसेंस के बिना सेवा जारी रखने दिया।